

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

तिथि: 22 अप्रैल, 2014

रि.या.(सि) 400/2003

दि.प.नि.

..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री आदेश कुमार गिल, अधिवक्ता
बनाम

अमरजीत सिंह व अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री अतुल टी.एन., अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ

जयंत नाथ, न्या. (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(2)(ख) के तहत याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 18.03.2002 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने के लिए उसके निर्देश हेतु अनुमोदन मांगा था।

2. वर्तमान याचिका दायर करने के पीछे मूल तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता द्वारा कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 04.05.1989 को प्रत्यर्थी नई दिल्ली-बुलंदशहर मार्ग पर कंडक्टर के रूप में अपना कार्य कर रहा था। याचिकाकर्ता के टिकट चेकिंग स्टाफ के सदस्यों ने

बस का निरीक्षण किया। यह पाया गया कि सिकंदराबाद से दादरी तक वैध 2.50/- रुपये से कम मूल्य के टिकटों पर दो यात्री बस में यात्रा कर रहे थे। ये दोनों यात्री गाजियाबाद जाने के लिए सिकंदराबाद से बस में सवार हुए थे। दोनों यात्रियों ने चेकिंग स्टाफ को बताया कि उन्होंने कंडक्टर को प्रति टिकट 5.00/- रुपये का किराया दिया था जबकि उन्हें केवल 2.50/- रुपये के मूल्य के टिकट जारी किए गए थे। चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित डिपो अर्थात् बीबीएम डिपो के प्रबंधक ने नियोक्ता को वित्तीय नुकसान पहुंचाने एवं कंडक्टर के कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारी निर्देशों एवं डीटीसी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेशों के अर्थ में अनियमितता तथा कदाचार करने के लिए प्रत्यर्थी को दिनांक 15.05.1989 को आरोप पत्र जारी किया। आरोपों की जांच की गई। जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाया। बीबीएम डिपो के प्रबंधक ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य किया और सेवा से हटाने के प्रस्तावित दंड के साथ प्रत्यर्थी को दिनांक 25.07.1989 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 29.05.1990 को प्रत्यर्थी की सेवा से हटाने की सजा की पुष्टि करने का आदेश पारित किया तथा उसी दिन मनी ऑर्डर के माध्यम से एक महीने का वेतन भेजा और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(2)(ख) के तहत एक उपयुक्त याचिका भी औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई।

3. औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 06.03.1991 को एक प्रारंभिक मुद्दा विरचित किया जो इस प्रकार है:-

“क्या आवेदक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्यर्थी के खिलाफ कानूनी एवं वैध जांच की थी?”

4. दिनांक 29.03.2001 के आदेशानुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मुद्दे का निर्णय किया गया क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट को त्रुटि पायी गयी क्योंकि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उनके निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पहले एक दोषी यात्री से पत्र प्र.प्र.सा.-1/2 प्राप्त हुआ था। यह पत्र जांच अधिकारी द्वारा उक्त यात्रियों को जारी किए गए समन के उत्तर में लिखा गया था। अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय जांच अधिकारी ने उक्त यात्री से प्राप्त संसूचना पर विचार नहीं किया। उक्त संसूचना में कहा गया है कि उक्त यात्री ने कंडक्टर से केवल दादरी तक का टिकट जारी करने के लिए कहा था। उसने कहा कि उसने जांच दल को सूचित किया था कि वह सो गया था तथा इसलिए अपने गंतव्य स्थान पर नहीं उतर सका। उसने कहा है कि जांच अधिकारी ने उस पर अपना पता बताने का आग्रह किया और उसने उसके अनुरोध का अनुपालन किया। वह गाजियाबाद में बस से उतर गया एवं कंडक्टर की कोई गलती नहीं थी।

5. दिनांक 29.03.2011 को औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त मुद्दे विरचित किए गए थे।

“1) क्या प्रत्यर्थी ने दुर्यवहार किया जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा जारी आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है?

2) क्या याचिकाकर्ता ने सेवा से हटाए जाने के समय प्रत्यर्थी को एक माह का वेतन भेजा था?

3) अनुतोष”

6. पक्षकारों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। याचिकाकर्ता ने श्री संजय सक्सेना, डिपो मैनेजर शाहदरा-1, दिल्ली, जांच अधिकारी आ.सा.-1, श्री इंद्र पाल सिंह, आ.सा.-2 एवं श्री कन्हैया लाल, आ.सा.-3 के साक्ष्य प्रस्तुत किये। प्रत्यर्थी ने अपना स्वयं का साक्ष्य प्र.सा.-1 प्रस्तुत किया।

7. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दा सं. 1 अभिनिर्धारित किया। आक्षेपित आदेश दिनांक 19.06.1989 के संसूचना प्र.सा.-1/2 पर आधारित है जो यात्री रणवीर सिंह से प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उक्त यात्री ने कहा है कि उसने कंडक्टर से केवल दादरी तक का टिकट देने के लिए कहा था। वह सो गया था और इसलिए सही स्टैंड पर उतर नहीं सका और जब चेकिंग अधिकारी बस में दाखिल हुये तो उसे इसका एहसास हुआ। उक्त पत्र में शामिल तथ्य निरीक्षण दल द्वारा उक्त दो यात्रियों के चालान के पीछे दर्ज बयान से भिन्न थे। आक्षेपित आदेश में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास दोनों यात्रियों का आवासीय पता था। यात्रियों को न्यायाधिकरण के समक्ष

अपना बयान देने और सही स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया एवं उक्त यात्रियों को बुलाने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य दिनांक प्र.सा.-1/2 के पत्र में निहित यात्री के अप्रतिवादित बयान से पूरी तरह से भिन्न पाये गये। चूंकि तथ्यों को स्थापित करना याचिकाकर्ता का काम था, अतः आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे। इन तथ्यों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता यह आरोप स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि प्रत्यर्थी/कंडक्टर ने सिकंदराबाद से गाजियाबाद तक की यात्रा हेतु दो यात्रियों से 5.00/- रुपये का किराया वसूला तथा फिर उन्हें सिकंदराबाद से दादरी तक की यात्रा के लिए 2.50/- रुपये का टिकट जारी किया।

8. मुद्दा सं. 2 पर, आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में अभिनिर्धारित किया गया था।

9. मुद्दा सं. 1 पर निष्कर्ष के मद्देनजर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(2)(ख) के तहत प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने की कार्रवाई हेतु याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई तथा याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई।

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने *हरियाणा राज्य व अन्य बनाम रतन सिंह, (1977) 2 एससीसी 491* और *डिवीजनल कंट्रोलर, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम एटी माने, (2005) 3 एससीसी 254* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसी तरह के तथ्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता के लिए बिना टिकट वाले यात्री का साक्ष्य आवश्यक नहीं है।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि सबसे पहले याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 29.03.2001 के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिसमें प्रारंभिक मुद्दे को याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किया गया था और जांच अधिकारी की रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण माना गया था। अतः, यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त आदेश अंतिम रूप ले चुका है।

12. आक्षेपित आदेश के बारे में उनका कहना है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों को वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी के समक्ष अभिलेख पर यह दिखाने के लिए साक्ष्य थे कि जिन दो यात्रियों के बयान के आधार पर चेकिंग टीम ने रिपोर्ट बनाई थी, उनमें से एक ने लिखित पत्र भेजा था जिसमें बताया गया था कि कंडक्टर की कोई गलती नहीं थी तथा

यात्री ने उससे टिकट मांगा था जो उसे कंडक्टर ने दिया था। यह तथ्य चेकिंग टीम के बयान को स्पष्ट रूप से गलत साबित करता है और आक्षेपित आदेश द्वारा दर्ज निष्कर्षों की अनदेखी करने का कोई आधार नहीं है। वह **डीटीसी बनाम अनूप सिंह, 2006 (133) डीएलटी 148 (डीबी)** के मामले में इस उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं जहां इस न्यायालय ने कुछ हद तक समान तथ्यों में बताया था कि हालांकि प्रत्येक मामले में यात्री से साक्षी के रूप में जांच करना संभव नहीं हो सकता है, विशेषकर **हरियाणा राज्य व अन्य बनाम रतन सिंह (पूर्वोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लेकिन अन्य प्रकार के साक्ष्य निश्चित रूप से अभिलेख पर रखे जा सकते हैं, जिससे यह साबित हो सके कि टिकट जारी किए बिना किराया वसूला गया था। उदाहरण के लिए, चेकिंग स्टाफ के लिए कंडक्टर के हाथ में मौजूद नकदी को जारी किए गए टिकटों से मिलान करना संभव होना चाहिए था। वह **जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम राम गोपाल शर्मा व अन्य, एआईआर 2002 एससी 643** के मामले में संविधान न्यायपीठ के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं, यह प्रस्तुत करने के लिए कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(2)(ख) के तहत अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो एक आवश्यक परिणाम यह होगा कि कर्मचारी सेवा में बना रहेगा जैसे कि छुट्टी या बर्खास्तगी का आदेश कभी पारित नहीं हुआ है एवं कर्मचारी को सेवा में जारी

माना जाएगा और सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने मुकदमेबाजी में काफी समय बिताया है एवं उन्हें न्यायालय में उपस्थित प्रत्यर्थी से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उनका मुवक्किल पुनः बहाली के अलावा मामले को सुलझाने के लिए बकाया वेतन का 50% स्वीकार करने को तैयार है।

13. याचिकाकर्ता द्वारा जिस एकमात्र आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है, वह यह है कि चेकिंग स्टाफ द्वारा दिए गए बयान को आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि दोनों यात्रियों के साक्ष्य पेश नहीं किये गये। चेकिंग स्टाफ ने चालान पर, जो कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है, दो यात्रियों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने 5.00/- रुपये का भुगतान किया था, लेकिन उन्हें 2.50/- (प्र.आ.सा.-3/3) रुपये का टिकट जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य श्री संजय सक्सेना, आ.सा.-1, शाहदरा डिपो के डिपो मैनेजर हैं, जिन्होंने जांच की एवं जांच कार्यवाही को साबित किया। आ.सा.-2 श्री इंद्र पाल सिंह ने मनी ऑर्डर के माध्यम से प्रत्यर्थी को एक महीने का वेतन भेजने की बात साबित की है। तीसरा साक्षी आ.सा.-3 कन्हैया लाल है।

14. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में आ.सा.-3 प्रासंगिक साक्षी है। आ.सा.-3 कन्हैया लाल सतर्कता दस्ते का सदस्य था जिसने दिनांक 04.05.1989 को एक अन्य यातायात निरीक्षक के साथ बस की जाँच की थी।

उक्त साक्षी ने साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी को जो चालान जारी किया गया था वह आ.सा.-3/1 है, यात्रियों का बयान जो आ.सा.-3/2 है, टिकट आ.सा.-3/3 (संगठन) तथा जाँच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट अ.सा-3/4 के रूप में प्रदर्शित की गई है। उदाहरण अ.सा-3/2 अर्थात् अ.सा-3/1 के पीछे यात्रियों के बयान इस प्रकार हैं:-

"

(अनुवादित)

मैं सिकंदराबाद से गाजियाबाद जाने के लिए बस में चढ़ा एवं कंडक्टर को 5 रुपये दिये। मुझे जो टिकट दिया गया उसकी सं. 69134 थी।

अनिल कुमार पुत्र
श्री राम कुमार पता
हाउस नं. 232,
मौहल्ला सब्जी वडा,
सिकंदराबाद
बुलंदशहर

मैं सिकंदराबाद से गाजियाबाद के लिए बस में चढ़ा। मैंने कंडक्टर को 5 रुपए दिए एवं उसने मुझे 69132 संख्या वाली टिकट दे दी।

रणवीर सिंह पता
गाँव व पीओ बिलास पुर
जिला बुलंदशहर"

15. उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत, यात्री रणवीर सिंह, जो कि प्र.सा.-1/2 है, से प्राप्त संसूचना इस प्रकार है:-

" (अनुवादित)

सेवा में,
दिल्ली परिवहन विभाग
इंद्रप्रस्थ डिपो

तिथि: 19.06.89

साहब,

मैं आपके पत्र संख्या ई.ओ. (आई-ए)....दिनांक 12.06.89 के प्रत्युत्तर में लिख रहा हूँ। जैसा कि आपने अपने पत्र में पूछा है, यह सच है कि मैंने दिनांक 4.05.89 को आपकी बस में यात्रा की थी। मैंने कंडक्टर से दादरी का टिकट मांगा एवं बाकी पैसे वापस ले लिए। दादरी से थोड़ा आगे चेकिंग टीम आई और मुझसे मेरा टिकट मांगा। मैंने उन्हें अपना टिकट दिखाया, जिस पर उन्होंने पूछा कि मैं दादरी से आगे क्यों आया हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अचानक नींद आ गई थी और कंडक्टर उस समय कुछ काम कर रहा था और बस की अगली सीट पर बैठा था। मैंने उनसे गाजियाबाद तक का टिकट देने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चेकिंग टीम ने पूछताछ शुरू की और मुझे अपना पता उन्हें देना पड़ा था।

कंडक्टर की कोई गलती नहीं है अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाये।

धन्यावाद,
आपका,
रणवीर सिंह
गाँव बिलासपुर

जिला बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश।”

प्रत्यर्थी प्र.सा.-1, जिसने उक्त पत्र प्र.सा.-1/2 प्रस्तुत किया था, से याचिकाकर्ता द्वारा प्रति-परीक्षा नहीं की गई है।

16. दोनों विरोधाभासी बयानों पर विचार करते हुए, आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता के कथन पर अविश्वास जताते हुए निष्कर्ष दिया गया है, तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं है।

17. मेरे विचार में, आक्षेपित आदेश द्वारा निकाले गए उक्त निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं है। साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। उक्त उद्देश्य हेतु विधिवत गठित तथ्य-खोजी प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को इस कारण से नहीं बदला जा सकता कि वे उन सामग्रियों या साक्ष्यों पर आधारित हैं जिन्हें रिट न्यायालय द्वारा पर्याप्त नहीं कहा गया है, जब तक कि निष्कर्ष अभिलेख पर कुछ सामग्रियों पर आधारित हों जो उक्त उद्देश्य हेतु प्रासंगिक हैं। केवल इसलिए कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव था, उक्त निष्कर्षों को खारिज करने का आधार नहीं होगा। याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को अपास्त क्यों किया जाना चाहिए।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा *हरियाणा राज्य व अन्य बनाम रतन सिंह (पूर्वोक्त)* तथा *डिवीजनल कंट्रोलर, केएसआरटीसी बनाम ए.टी. माने (पूर्वोक्त)* के मामले में लिए गए निर्णयों का सहारा वर्तमान मामले के तथ्यों पर नहीं लिया जा सकता है। यह सत्य है कि इस मामले में भी निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों के साक्ष्य हैं, जिन्होंने यह दर्शाया है कि दो यात्रियों को कम मूल्य के टिकट दिए गए थे। फिर भी वर्तमान मामले में यात्रियों में से एक ने याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से बताया है कि उसे वह टिकट जारी किया गया था, जिसके लिए उसने अनुरोध किया था तथा कंडक्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया था। यात्री के इस साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि यात्री का बयान किसी प्रभाव में लिया गया था। इस साक्ष्य के प्रकाश में, निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों के बयान को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

19. इस मामले के तथ्यों पर इस उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू होगा, अर्थात् डीटीसी बनाम अनूप सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय यह मामला भी याचिकाकर्ता के एक कर्मचारी से संबंधित है जो कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था। बस में चार व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करते पाए गए। उन तथ्यों में इस न्यायालय ने पैरा 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"16. हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसे हर मामले में यात्रियों से साक्षी के रूप में पूछताछ करनी होगी। हम जानते हैं कि यात्रियों से स्वयं पूछताछ करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। हम हरियाणा राज्य बनाम रतन सिंह (1977) 2 एससीसी 491 में इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी अवगत हैं। लेकिन, निश्चित रूप से, ऐसे अन्य प्रकार के साक्ष्य भी हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि टिकट जारी किए बिना किराया वसूला गया था। उदाहरण के लिए, चेकिंग स्टाफ के लिए कंडक्टर के हाथ में मौजूद नकदी को जारी किए गए टिकटों से मिलाना और इसे किसी भी ज्ञात और स्वीकार्य रूप में लिखित रूप में दर्ज करना संभव होना चाहिए था जिसे दस्तावेज के लेखक द्वारा जाँच में साबित किया जा सके। यह केवल एक संभावित तरीका है, अन्य भी हो सकते हैं। हम, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस अभिवचन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रत्यर्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभिले पर पर्याप्त सबूत हैं। तदनुसार, हम न्यायाधिकरण के निर्णय या विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।"

20. वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं है तथा इसे खारिज किया जाता है। न्यायाधिकरण के दिनांक 18.03.2002 के आदेश को बरकरार रखा जाता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण के दिनांक 18.03.2002 के आदेश को आज से तीन महीने के भीतर लागू करता है, तो प्रत्यर्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन से बाध्य रहेगा, अर्थात्, यदि उसे बकाया वेतन का 50% और बहाली की राहत दी जाती है तो वह संतुष्ट होगा।

21. सभी अंतरिम आदेश निरस्त माने जाएंगे। किसी भी अंतरिम आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में जमा की गई कोई भी धनराशि प्रत्यर्थी को वापस कर दी जाएगी।

जयंत नाथ
(न्यायाधीश)

22 अप्रैल, 2014

आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।